रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072021-228311
CG-DL-E-15072021-228311

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2638] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 15, 2021/आषाढ़ 24, 1943
No. 2638] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 15, 2021/ASHADHA 24, 1943

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई 2021

का.आ. 2844(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में केंद्र सरकार का यह मत है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एतद्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (आवश्यक पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

पैराग्राफ 5 के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ डाला जाएगा, अर्थात्:

6. आदेश के आस्थगित अनुप्रयोग" : ऐसे विनिर्माताओं, जो इस आदेश के अंतर्गत पहले से ही पंजीकृत है, के लिए भारत के संघीय सीमा के भीतर किसी नए स्थल पर विनिर्मित मॉल (वस्तुओ) के लिए आदेश का अनुप्रयोग को छः माह तक आस्थगित रखा जायेगा बशर्ते कि:

क) नया विनिर्माण स्थल उसी विनिर्माता की जिम्मेदारी के तहत आता हो ;

ख) इस नए स्थल पर विनिर्मित माल का विशिष्ठ प्रकार / मॉडल नंबर किसी अन्य स्थल पर उसकी विनिर्माण यूनिट के लिए उसी विनिर्माता के पंजीकरण के कार्य क्षेत्र (परिधि) में पहले से ही शामिल हो।

अनंतिम अवधी के दौरान ऐसे उत्पाद/ उत्पादों के लिए इस विनिर्माता को किस अन्य स्थल हेतु स्वीकृत की गयी पंजीकरण संख्या का समर्थन जारी रहेगा।

7. बंदरगाह पर मानक चिन्ह लगाना : "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021" के तहत अधिसूचित सभी उत्पाद श्रेणियों के लिए, विदेशी विनिर्माण इकाई के भारत में स्थित सम्बद्ध कार्यालय या शाखा कार्यालय के प्रतिनिधि को ब्यूरो से पंजीकरण संख्या रखने वाले माल पर बंदरगाह पर मानक चिन्ह लगाने का प्रावधान उस विशेष उत्पाद श्रेणी के लिए आदेश के प्रभाव में आने की तारीख से तीन महीने (अधिकतम) का संक्रमण अवधि सीमा शुल्क से माल की निकासी के लिए उपलब्ध होगा।

8. अति विशिष्ट उपकरणों के लिए छूट: नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार अति विशिष्ट उपकरण (एचएसई) को इस आदेश के लागू होने से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि वे प्रति वर्ष प्रति मॉडल 100 इकाइयों से कम में निर्मित/आयातित हों-

Scanned with CamScanner

क) तीन फेज बिजली आपूर्ति द्वारा संचालित उपकरण या

ख) एक फेज बिजली आपूर्ति द्वारा संचालित उपकरण जिनकी करंट रेटिंग 16 एम्पीयर या उससे अधिक हो, या

ग) 1.5 मीटर x 0.8 मीटर से अधिक आयाम वाले उपकरण, या

घ) 80 किलोग्राम से अधिक वजन वाले उपकरण

[फा. सं. डब्लू-47/4/2020-आइ.पी.एच.डब्ल्यू.–ई. एवं सू. प्रौ. मं.]

आशा नांगिया, वैज्ञानिक 'जी'

टिपण्णी : प्रधान आदेश भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 18 मार्च, 2021 के का० आ० संख्या 1248 (अ) के तहत प्रकाशित किया गया था, तत्पश्चात एस.ओ. संख्या 1353 (अ) दिनांक 25.03.2021 के द्वारा संशोधित किया गया था |

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

ORDER

New Delhi, the 1st July, 2021

S.O. 2844(E).—n exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016, (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendments to the "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2021",

After Paragraph 5, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"6 . Deferred Application of Order"- For manufacturers that are already registered under this Order, the application of the Order shall be deferred by six months for goods manufactured at any new location within the territory of India provided:

(a) That the new manufacturing location is within the responsibility of the same manufacturer

(b) That the specific type/model number of the goods manufactured at this new location are already covered in the scope of registration of the same manufacturer for its manufacturing unit, at any other location.

During the interim period such product/products will continue to support the registration number granted to this manufacturer earlier for any other manufacturing location.

"7. Labeling at Custom ports:" For all the product categories notified under the "Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2021", a transition period of three months (max), from the date of coming into effect of the Order for the particular product category, would be available to the representative of the foreign manufacturing unit having liaison office or branch office located in India for affixing Standard Mark at the ports which are already having registration number from the Bureau for clearance of goods from customs.

"8. Exemption for Highly Specialized Equipment (HSE) : HSE as per the criteria given below shall stand exempted from the application of this Order provided they are manufactured/ imported in less than 100 units per model per year-

a. Equipment Powered by three phase power supply or

b. Equipment Powered by single phase power supply with current rating exceeding 16 Ampere or

c. Equipment with dimensions exceeding 1.5 m x 0.8 m or

d. Equipment with weight exceeding 80 Kg

[F. No. W-47/4/2020-IPHW-MeitY]

ASHA NANGIA, Scientist 'G'

Note : The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 1248(E), dated the 18th March, 2021 and subsequently amended vide S.O. No 1353(E) dated 25.03.2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

Scanned with CamScanner